

F.No. 7/30/2011-E.III(A)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure

New Delhi, the 13 January, 2012.

**OFFICE MEMORANDUM**

**SUBJECT:-** Enhancement in the rate of Qualification Pay from ₹ 60/- to ₹ 120/- per month consequent upon the revision of scales of pay on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's O.M. No. 9(7)-E.III (A)/98 dated 5<sup>th</sup> August, 1999 regarding the rate of qualification pay of ₹ 60/- p.m. to the Auditors/Accountants in the Indian Audit & Accounts Department and certain other organized accounts cadres and the Clerks Grade II in the Railway Accounts Department. The matter regarding revision of the rate of this qualification pay consequent to revision of scales of pay on the basis of recommendations of the Sixth CPC has been under consideration of the Government for sometime past. The President has now been pleased to decide that the rate of qualification pay may be enhanced from ₹ 60/- to ₹ 120/- p.m. with effect from the date an individual elects to draw pay in the revised scale of pay under CCS (RP) Rules, 2008.

2. The qualification pay shall continue to be treated as part of the pay for the purpose of fixation of pay on promotion to the next higher post.

3. In so far as persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders have been issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

*Manab Ray*  
(Manab Ray)

Under Secretary to the Govt. of India.

To,

1. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. The Controller General of Defence Accounts, New Delhi.
3. The Controller General of Accounts.
4. Department of Telecom.
5. Department of Post.
6. Ministry of Railways, Railway Board.
7. Guard File
8. ✓ NIC with the request that the same be posted on M/Fin website

फा.सं. 7/30/2011-ई.III.ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप अर्हता वेतन की दर को 60/- रुपए से बढ़ाकर 120/- रुपए प्रतिमाह किया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में लेखापरीक्षकों/लेखाकारों तथा कतिपय अन्य संगठित लेखा संवर्गों और रेलवे लेखा विभाग में लिपिक ग्रेड-2 के लिए अर्हता वेतन की 60/- रुपए प्रतिमाह की दर के संबंध में इस मंत्रालय के 05 अगस्त, 1999 के कार्यालय ज्ञापन सं.9(7)-ई.III(ए)/98 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है । छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों में संशोधन के परिणामस्वरूप इस अर्हता वेतन की दर में संशोधन से संबंधित मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । अब राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली, 2008 के अंतर्गत उस तारीख से जो संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के लिए चुनी जाए, अर्हता वेतन की दर 60/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 120/- रुपए प्रतिमाह की जाती है ।

2. अर्हता वेतन को अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए वेतन के भाग के रूप में माना जाता रहेगा ।
3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

*मानवरे*

(मानव रे)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली ।
3. महालेखानियंत्रक ।
4. दूर संचार विभाग ।
5. डाक विभाग ।
6. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ।
7. गार्ड फाइल ।
8. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाए ।